(14)

495 न्यायालय मे :- श्रीमान् राजस्व मण्डल, ग्वालियर

-08284164
16-5-12

जिला ग्वालियर

1. मुक्काल पिता बुतकर सिंह गोड
2. शंकर पिता अधनू सिंह गोड दोनो निवासीग्राम मोहँदी पो० लखपुरी तहसील पुष्पराजगढ जिला-अनूपपुर म०प्र०

-----निगराकार

R 1587-II/12

बनाम

पतीराम पिता गोगे सिंह जाति गोड निवासीग्राम मोहँदी पो० लखपुरी तहसील पुष्पराजगढ जिला-अनूपपुर म०प्र०

-----उत्तरदाता

343
15-5-12

निगरानी विरूद्ध श्रीमान् नायब तहसीलदार महोदय पुष्पराजगढ के रा०प्र०क्र० 39/अ-19(4)/89-90 आदेश दि. 10.12.90 के विरूद्ध अन्तर्गत धारा-50 म०प्र०भू०रा०सं० 1959

---

मान्यवर,

1343
16-5-12

निगराकार नीचे लिखे अनुसार निगरानी प्रस्तुत कर विनय करते है :-

निगरानी के तथ्य

ग्राम मोहदी प०ह०न० वृत भेजरी तहसील पुष्पराजगढ जिला-अनूपपुर म०प्र० के अन्तर्गत स्थित आ०ख०न० 504/1 रकवा 0.955, मेसे 0.364 है० का व्यवस्थापन उत्तरदाता के नाम पर रा०प्र०क्र० 39/अ-19(4)/89-90 आदेश दि. 10.12. 1990 को विधि विरूद्ध की गई है ।

उक्त आराजी नाला है वर्ष 1969-70 के पूर्व से म०प्र० शासन नाला दर्ज चला आया उक्त भूमि ग्राम मोहँदी(रूदीटोला) के माध्यम मे है जिसे पर ग्रामवासियो द्वारा निस्तार हेतु सुरक्षित रखा गया है, नाला पर ही जहाँ पर पानी वर्षा के बाद कम हो जाता है वहाँ शासकीय कुआ है, उसके पास ही होलिका दहन स्थान व श्मशान घाट है, उसकी भूमि से आम रास्ता है ग्रामवासियो द्वारा फलदार पेड पौधे जामुन, बबूल, परसा आदि पेड है, चारागाह है,

# न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

**प्रकरण क्रमांक** –निग.-1587-दो/2012 जिला-अनूपपुर

सुकलाल व अन्य विरूद्ध पतीराम

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 23-01-2019 | 1. प्रकरण प्रस्तुत ।<br>2. आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री शेषमणी यादव एवं अनावेदक की ओर से अभिभाषक श्री विवेक शर्मा उपस्थित।<br>3. यह निगरानी नायब तहसीलदार पुष्पराजगढ़, जिला-अनूपपुर के प्रकरण क्रमांक 39/अ-19(4)/1989-90 में पारित आदेश दिनांक 10-12-1990 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 16-05-2012 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी।<br>4. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार –<br>''1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथा संशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।''<br>5. नायब तहसीलदार के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित कलेक्टर है । अतः उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर कलेक्टर के द्वारा ही | |

23/01/19

पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा ।

6. अतः उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका के निराकरण हेतु प्रकरण कलेक्टर अनूपपुर को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 25-03-2019 को इस आदेश की सत्यापित प्रतिलिपि लेकर कलेक्टर अनूपपुर के न्यायालय में प्रस्तुत हो ।

7. उक्त कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख कलेक्टर अनूपपुर के न्यायालय में भेजा जाये ।

8. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये ।

23.01.19

(आर.के. जैन)
सदस्य